विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

<u>प्रकरण क्रमांक L00-04/19</u>

मे0 सचाम हाईवे रीयल स्टेट प्रायवेट लिमिटेड, — **आवेदक**
द्वारा — श्री अनूप अग्रवाल,
57 एफ.ए. स्कीम नम्बर—94,
पिपल्या हाना चौराहा, रिंग रोड़,
इन्दौर (म0प्र0) — 452003

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.), — **अनावेदक**
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
पोलो ग्राउण्ड, इंदौर (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 21.10.2019 को पारित)

01. मेसर्स सचाम हाईवे रीयल स्टेट प्राय0लिमि0, (डेवलपर ऑफ—केलीफोर्निया सिटी, ग्राम—हिन्गोनिया, इन्दौर) द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र के आदेश क्रमांक W0421818 में पारित आदेश दिनांक 14.02.2019 से असंतुष्ट होकर अपील अभ्यावेदन दिनांक — 12.03.2019 सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

02. आवेदक वास्ते मेसर्स सचाम हाईवे रीयल स्टेट प्राय0लिमि0, (डेवलपर ऑफ—केलीफोर्निया सिटी, ग्राम—हिन्गोनिया, इन्दौर) द्वारा श्री अनूप अग्रवाल ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 12.03.2019 जो विद्युत लोकपाल कार्यालय में 14.03.2019 को प्राप्त हुआ तथा जिसे प्रकरण क्रमांक एल00—04/2019 पर दर्ज किया गया । आवेदक ने इस लिखित अभ्यावेदन में उनके द्वारा आवेदित 10 किलोवाट के निम्न दाब घरेलू कनैक्शन में आवेदन दिनांक

12.10.2018 से 60 दिवस व्यतीत होने पर भी कालोनी के संपूर्ण बाह्य विद्युतीकरण की सुपरवीजन राशि सहित लागू समस्त प्रभारों का डिमाण्ड नोट जारी नहीं करने की शिकायत प्रस्तुत की है ।

03. प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रकरण के विवरण निम्नानुसार है :–

<u>विषय वस्तु :</u>

(i) आवेदक द्वारा ग्राम – हिन्गोनिया, तहसील एवं जिला इन्दौर में, जो कि अनावेदक कम्पनी के संचा./संधा. संभाग, इन्दौर के कनाडिया वितरण केन्द्र के अन्तर्गत स्थित हैं, में कुल 22.791 हेक्टेअर भूमि पर ''केलीफोर्निया सिटी'' नाम से टाऊनशिप विकसित की जा रही है । आवेदक ने इस प्रस्तावित टाऊनशिप के लिए एक 10 किलोवाट के निम्नदाब स्थाई घरेलू कनेक्शन के लिए अनावेदक के संबंधित कार्यालय में दिनांक 12.10.2018 को निर्धारित प्रारूप में समस्त दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन आवेदन जमा किया । किन्तु आवेदक के अनुसार अनावेदक द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 4.14 से 4.22 पर दर्ज प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही पूर्ण करके कण्डिका 4.19 में प्रावधानित सुपरविजीन चार्जेज द्वारा लागू समस्त प्रभारों का डिमाण्ड नोट जारी नहीं किया है । इस संबंध में आवेदक के द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र के समक्ष एक लिखित अभ्यावेदन दिनांक – निरंक से एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जो फोरम में क्रमांक W0421818 पर दर्ज की गई ।

(ii) माननीय फोरम ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेजों तथा दिए गए बयानों के आधार पर दिनांक 14.02.2019 को प्रकरण में आदेश दिनांक 14.02.2019 पारित किया, जिसमें फोरम ने आवेदक का परिवाद अस्वीकार किया तथा निर्णय दिया कि आवेदक की प्रस्तावित कालोनी ''केलीफोर्निया सिटी'' के बाह्य विद्युतीकरण होने के बाद ही आवेदक को 10 किलोवाट का विद्युत संयोजन प्रस्तावित कालोनी में दिया जा सकता है । तद्नुसार आवेदक को प्रथमतः माननीय विद्युत नियामक आयोग के

लागू विनियम के प्रावधान के अनुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर कालोनी के बाह्य विद्युतीकरण का कार्य संपादित करें । फोरम के उक्त निर्णय से व्यथित होकर आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन अपील विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

(ब) <u>प्रकरण का विवरण :</u>

(i) किसी आवासीय कॉलोनी के बाह्य विद्युतीकरण हेतु कॉलोनाईजर/डेवलपर/उपभोक्ता द्वारा निम्नदाब कनेक्शन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना एवं आवेदन शुल्क जमा कराना नियमानुसार अनिवार्य हैं ।

(ii) विद्युत कनेक्शन के आवेदन के अभाव में कॉलोनी के बाह्य विद्युतीकरण का प्राक्कलन स्वीकृत करने एवं सुपरवीजन राशि जमा कराने का नियमों/विनियमों व विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में कहीं कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है ।

(iii) हम मेसर्स सचाम हाईवे रीयल स्टेट प्रा0लि0, जो केलीफोर्निया सिटी, ग्राम हिन्गोनिया, के डेवलपर हैं, ने अविद्युतीकृत आवासीय ''केलीफोर्निया सिटी'' की कॉमन एमीनिटीज वाटर वर्क्स एवं स्ट्रीट लाईट हेतु 10 किलोवाट के स्थायी कनेक्शन के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में समस्त दस्तावेजों सहित ऑन लाईन क्र0 ID-NSCLT-376117 दिनांक 12.10.2018 से आवेदन शुल्क रूपए 1,500/— ऑन लाईन जमा कराकर श्रीमान कार्यपालन निदेशक (ईक्षे.) इन्दौर के समक्ष दिनांक 15.10.2018 को आवेदन की हार्डकॉपी प्रस्तुत की गई है ।

(iv) किसी आवासीय कॉलोनाईजर/डेवलपर/उपभोक्ता द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराकर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन देने पर म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 4.32 अनुसार कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी ।

कण्डिका 4.32 : ''भवन निर्माता/विकासक/समिति/उपभोक्ता से आवासीय कालोनी के लिये विद्युत प्रदाय हेतु आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराने संबंधी कार्यवाही निर्दिष्ट प्रक्रिया अनुसार की जाएगी ।''

(v) आई.डी.क्र0 क्र0 ID-NSCLT-376117 दिनांक 12.10.2018 से प्रस्तुत 10 कि.वा. के निम्नदाब कनेक्शन के आवेदन पर म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय – 4 ए निम्नदाब पर विद्युत प्रदाय'' की 'निर्दिष्ट प्रक्रिया'' कण्डिका 4.14 से 4.22 पर दर्ज हैं । हमारे आवेदन की छानबीन कण्डिका 4.14 में दर्ज अनुसार करके आवेदक उपभोक्ता को स्थल निरीक्षण की निर्धारित दिनांक की सूचना दी जाना हैं ।

कण्डिका 4.14 :– अनुज्ञप्तिधारी आवेदन प्राप्त करते समय आवेदन तथा उसके साथ संलग्न अभिलेखों का सत्यापन करेगा । आवेदक को तत्काल एक लिखित अभिस्वीकृति प्रदान की जाएगी । आवेदन अपूर्ण पाए जाने की स्थिति में आवदेन में पाई गई कमियों के बारे में आवदेक को लिखित रूप में तीन कार्य दिवसों के भीतर सूचित किया जाएगा तथा आवेदक से पूर्ण किया हुआ आवेदन प्राप्त होते ही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसकी लिखित पावती तत्काल आवेदक को प्रदान की जाएगी। तत्पश्चात, दो दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदक को स्थल निरीक्षण की प्रस्तावित् दिनांक की सूचना दी जाएगी जो शहरी क्षेत्रों के लिए आगामी पांच दिवस एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आगामी दस दिवस के भीतर की होगी ।

(vi) आवेदित निम्नदाब कनेक्शन की मांग अविद्युतीक्रत कालोनी में होने से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 46 के पालनार्थ म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किए गए संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम 2009 में दर्ज सीमा अनुसार कॉलोनी के संपूर्ण बाह्य विद्युतीकरण की संपूर्ण लागत आवेदक कॉलोनाईजर/डेवलपर/समिति/उपभोक्ता द्वारा वहन की जाना है।

(vii) आवेदित 10 कि.वा. के निम्नदाब कनेक्शन हेतु लाईन विस्तार आवश्यक हो से म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय – 4 (ए) की कण्डिका 4.19 में दर्ज प्रावधान अनुसार हमारे आवेदन पर कार्यवाही की जाना है ।

कण्डिका 4.19 :– यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से वितरण प्रसंवाही (distribution main) का विस्तार करना या उपकेन्द्र क्षमता का

आवर्धन करना आवश्यक हो तो वितरण प्रसंवाही के विस्तार की राशि, प्रतिभूति निक्षेप (Security Deposit), सेवा तन्तुपथ (service line) स्थापित करने की राशि तथा लागू अन्य प्रभारों का एक मांग–पत्र अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षत्रों में 15 दिवस एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिवस के भीतर उपभोक्ता को प्रेषित करेगा एवं उपभोक्ता को किन्हीं अन्य अतिरिक्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने की आवश्यकता की सूचना भी उपभोक्ता को प्रेषित करेगा । ऐसे प्रकरणों में जहां वितरण प्रसंवाही व सेवा तन्तुपथ इत्यादि के विस्तार का कार्य उपभोक्ता द्वारा कराया जाना अपेक्षित हो, उपभोक्ता द्वारा देय शुल्क में से वितरण प्रसंवाही एवं सेवा तन्तुपथ के विस्तार कार्य पर पर्यवेक्षण शुल्क एवं अन्य लागू प्रभार शामिल होंगे । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को निर्धारित पप्रत्र में अनुबंध निष्पादित करने की सूचना भी दी जाएगी । उपभोक्ता द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने पर ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा । अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को विनिर्दिष्ट प्रारूप में परीक्षण–प्रतिवेदन (test report) प्रस्तुत करने हेतु सूचित करेगा।

(viii) हमने मा0 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के समक्ष आवेदित 10 किलोवाट के निम्न दाब घरेलू कनैक्शन हेतु नियमानुसार कॉलोनी ''केलीफोर्निया सिटी'' के संपूर्ण बाह्य विद्युतीकरण का प्राक्कलन स्वीकृति करके म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 4.19 में दर्ज प्रावधान अनुसार स्वीकृत प्राक्कलन के 5 प्रतिशत सुपरवीजन राशि सहित लागू अन्य समस्त प्रभारों का एक मांग पत्र निर्धारित समयावधि में जारी नहीं करने की शिकायत प्रस्तुत की थी ।

(ix) कृपया हमारी वर्तमान शिकायत 10 कि.वा. का कनेक्शन का विद्युत प्रदाय चालू करने की नहीं हैं । हमारी शिकायत सुपरवीजन चार्जेस एवं लागू अन्य समस्त प्रभारों का डिमाण्ड नोट निर्धारित समयावधि में जारी नहीं करने की हैं । हमारे आवेदन पर निम्नानुसार कड़ी में प्रक्रिया संपादित की जाना हैं :–

(अ) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कॉलोनी के संपूर्ण बाह्य विद्युतीकरण की सुपरवीजन राशि सहित लागू समस्त प्रभारों का हमें डिमाण्ड नोट जारी करना होगा ।

(ब) डिमाण्ड नोट अनुसार संपूर्ण राशि जमा कराने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य आदेश जारी किया जावेगा ।

(स) कार्यादेश अनुसार संपूर्ण बाह्य विद्युतीकरण निर्माण कार्य अधिक्रत विद्युत कान्ट्रेक्टर के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी के सुपरवीजन/देखरेख में पूर्ण कराकर हमारे द्वारा कम्प्लीशन रिपोर्ट एवं चार्जिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की जावेगी ।

(द) बाह्य विद्युतीकरण का कार्य संतोषजनक पाया जाने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य अधिग्रहित किया जावेगा । बाह्य विद्युतीकरण

(इ) अधिग्रहित होने पर ही आवेदित 10 कि.वा. का कनेक्शन जारी किया जा सकेगा ।

(x) माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत हमारे आवेदन पर उत्तरदाता श्रीमान कार्यपालन यंत्री संचा./संधा., इन्दौर–संभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 17.01.2019 में उन्होंने बताया है कि वर्तमान में कॉलोनी में 50 कि0वा0 ट्रेम्प्रेरी कनेक्शन चालू होने से एक ही परिसर में एक ही प्रयोजन से भिन्न भिन्न कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है ।

यहां पुनः स्पष्ट करना होगा कि हमारी शिकायत वर्तमान में केवल कॉलोनी के बाह्य विद्युतीकरण का प्राक्कलन स्वीकृत करके सुपरवीजन चार्ज एवं लागू अन्य समस्त प्रभारों का मांग पत्र निर्धारित समयावधि में हमें जारी नहीं करने की हैं । डिमाण्ड नोट अनुसार राशि जमा कराने पर उक्त कण्डिका (9) के (क), (ख), (ग), (घ) एवं (ड़) अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने पर वर्तमान चालू 50 के.वी.ए. के टेम्प्रेरी कनेक्शन विच्छेदित करके तदुपरांत 10 कि.वा. का स्थाई कनेक्शन जारी किया जाना हैं । अतः एक परिसर में एक प्रयोजन हेतु एक समय में एक ही कनेक्शन चालू रहेगा । इससे प्रकरण स्वीकृत करके लागू समस्त प्रभारों का मांग पत्र जारी करने में क्यों विलंब किया जा रहा है ।

(xi) ''मा0 फोरम, इन्दौर'' द्वारा प्रकरण क्रमांक W0421818 में पारित निर्णय के पैरा ''फोरम का अवलोकन एवं अभिमत'' के तृतीय पैराग्राफ में उल्लेखित कथन ''अतः फोरम का अभिमत है कि परिवादी को 10 कि.वा. का निम्नदाब विद्युत संयोजन प्रस्तावित कॉलोनी केलीफोर्निया सिटी के बाह्य विद्युतीकरण होने के बाद ही दिया जा सकता हैं । अतः प्रतिवादी प्रथमतः म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के लागू रेगुलेशन के प्रावधान के अनुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराकर कॉलोनी के बाह्य विद्युतीकरण का कार्य संपादित करना चाहिए''।

(xii) ''मा0 फोरम, इन्दौर'' के उक्त कथन बावत् हमारा निवेदन : कृपया हमारी शिकायत भी यही हैं कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत नियामक आयोग के रेगुलेशन अनुसार बाह्य विद्युतीकरण का कार्य संपादित करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावित कॉलोनी के संपूर्ण बाह्य विद्युतीकरण का प्राक्कलन स्वीकृत करके म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 4.19 अनुसार 5 प्रतिशत सुपरवीजन चार्ज सहित लागू अन्य प्रभारों का मांग पत्र जारी नहीं किए जाने के कारण हम प्रस्तावित कॉलोनी ''केलीफोर्निया सिटी'' के बाह्य विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ नहीं करके पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं । अतः हमारे द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्णतः नियमानुसार होकर स्वीकार किए जाने योग्य हैं ।

(xiii) कृपया ''मा0 फोरम, इन्दौर'' के अभिमत में उन्होंने इस बिन्दु पर गौर ही नहीं किया है कि किसी भी कॉलोनी के बाह्य विद्युतीकरण हेतु म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय – 4 (सी) एवं –4 (ए) में दर्ज प्रक्रिया एवं प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाना नितान्त अनिवार्य हैं । कॉलोनी के बाह्य विद्युतीकरण का कार्य हम शीघ्र अति शीघ्र प्रारंभ करके पूर्ण करना चाहते हैं इसी की पूर्ति हेतु हमने अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष दिनांक 15.10.2018 को निर्धारित प्रारूप, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके आवेदन प्रस्तुत किया हैं । लगातार स्मरण पत्र प्रेषित करके बाह्य विद्युतीकरण का प्राक्कलन स्वीकृत कर लागू समस्त प्रभारों का मांग पत्र शीघ्र/निर्धारित समयावधि में जारी करने का निवेदन कर रहे हैं । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लागू प्रभारों का मांग पत्र समयावधि में जारी नहीं करने के कारण बाह्य विद्युतीकरण की आगामी कार्यवाही

प्रारंभ नहीं की जा पा रही हैं, जिसके कारण हमें ''मा0 फोरम, इन्दौर'' के समक्ष यह शिकायत प्रस्तुत करना पड़ी हैं । अतः प्रस्तुत वाद पूर्णतः नियमानुसार स्वीकार किए जाने योग्य हैं ।

(xiv) कृपया ''मा0 फोरम, इन्दौर'' द्वारा हमारी शिकायत की मूल विषय वस्तु ''सुपरवीजन चार्ज एवं लागू अन्य समस्त प्रभारों का मांग पत्र जारी नहीं करने की शिकायत'' के स्थान पर ''नवीन निम्नदाब कनेक्शन जारी नहीं करने की शिकायत'' समझने की भूल के कारण उन्होंने हमारा वाद अस्वीकार कर दिया है । अतः हमारी शिकायत की मूल विषयवस्तु पर गौर करके उचित निराकरण पारित करने का निवेदन हैं ।

(स) <u>आवेदक द्वारा चाही गई राहत :</u>

(i) म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 4.19 अनुसार हमारे आवेदन का अन्तिम निपटारा कर डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स के विस्तार हेतु सुपरवीजन चार्ज की राशि, सुरक्षा निधि डिपाजिट, सर्विस लाईन स्थापित करने की राशि तथा लागू अन्य प्रभारों का एक मांग पत्र तत्परता से जारी कराने का निवेदन हैं ।

(ii) म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 4.32, 4.14 एवं 4.19 अनुसार निर्धारित 45 दिवस की अधिकतम समयासीमा में आवेदन 10 किलोवाट के आवेदन पर कालोनी के बाह्य विद्युतीकरण का प्राक्कलन स्वीकृत करके सुपरवीजन चार्ज एवं लागू अन्य समस्त प्रभारों का मांग पत्र निर्धारित समयावधि में हमें जारी नहीं करने से हमें निम्नदाब कनेक्शन प्राप्त करने एवं रहवासियों को स्थायी कनेक्शन प्राप्त करने में विलंब हुआ हैं, जिससे हमें वर्तमान 50 केवीए के अस्थायी उच्चदाब कनेक्शन की हायर टैरिफ पर भुगतान करने से वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा हैं । अतः हमारे आवेदन दिनांक से 45 दिवस उपरांत 50 केवीए के अस्थायी उच्चदाब कनेक्शन पर निम्नदाब स्थायी कनेक्शन की टैरिफ से बिलिंग कराकर अन्तर की राशि के नुकसान की प्रतिपूर्ति करायी जावे ।

(iii) म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मापदण्ड) विनियम 2012 द्वारा निर्धारित प्रतिकार/क्षतिपूर्ति राशि का हमें भुगतान करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी को उचित निर्देश जारी करने का निवेदन हैं ।

04. दिनांक 15.03.2019 को नोटिस जारी कर प्रारंभिक सुनवाई हेतु दिनांक 10.04.2019 को उभयपक्षों को सुनवाई के लिए सूचना पत्र जारी किया गया । तत्कालीन समय नियमित विद्युत लोकपाल की नियुक्ति न होने के कारण प्रभारी विद्युत लोकपाल द्वारा नियमित विद्युत लोकपाल की पदस्थापना की प्रत्याशा में प्रकरण में सुनवाई न की जाकर सुनवाई आगे बढ़ाई जाती रही । अन्ततः माह अप्रैल 2019 में नियमित विद्युत लोकपाल के पदग्रहण करने के पश्चात प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.04.2019 को नियत थी । चूंकि इस दिनांक को समस्त लंबित प्रकरण की सुनवाई एक ही दिन नियत की गई थी जो कि व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं था, अतः सभी प्रकरणों की सुनवाई पुनः ही पुनर्निर्धारित (Re-schedule) की गई और प्रश्नाधीन प्रकरण में सुनवाई की दिनांक 21.06.2019 नियत की जाकर दोनों पक्षों को तद्नुसार नोटिस जारी किए गए।

05. दिनांक 21.06.2019 की सुनवाई में उभयपक्ष आवेदक/अनावेदक उपस्थित नहीं हुए । तत्पश्चात सुनवाई दिनांक 08.07.2019 नियत करते हुए उभयपक्षों को नोटिस जारी किया गया । उक्त सुनवाई दिनांक 08.07.2019 की सुनवाई में आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा अनावेदक की ओर से श्री आनंद अहिरवार, कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) इन्दौर उपस्थित हुए ।

श्री अहिरवार द्वारा प्रकरण में अपना लिखित उत्तर दिनांक 08.07.2019 प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया गया इस लिखित उत्तर के अनुसार आवेदक द्वारा आवेदित 10 कि.वा. के स्थाई विद्युत कनेक्शन को अनावेदक द्वारा दिनांक 17.01.2019 को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि आवेदित कनेक्शन नई आवासीय कालोनी हेतु लिया जा रहा था चूंकि कालोनी के बाह्य विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया गया है, अतः नियमानुसार नया अविद्युतीकृत आवासीय कालोनी में स्थाई कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है ।

श्री अहिरवार द्वारा कथन किया गया कि मेसर्स सचाम हाईवे रीयल स्टेट प्राय0लिमि0, इन्दौर के नाम से कोई आवेदन अनावेदक के पास लंबित नहीं है । अपने लिखित उत्तर के साथ

श्री अहिरवार ने अपने पत्र क्रमांक 4369 दिनांक 17.01.2019 की छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत की । इस संलग्न पत्र दिनांक 17.01.2019 में जानकारी प्रस्तुत की गई है कि :

(अ) आवेदक के परिसर में पूर्व से ही 50 केवीए स्वीकृत भार का अस्थाई उच्च दाब विद्युत कनेक्शन मेसर्स आई.बी.डी. निरूपम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स द्वारा निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2013 में लिया गया था जो कि वर्तमान में चल रहा है । ऐसी स्थिति में एक ही परिसर में एक ही प्रयोजन हेतु भिन्न–भिन्न सप्लाई पर कनेक्शन देना संभव नहीं है ।

(ब) केलिफोर्निया सिटी ग्राम कनाडिया के बाह्य विद्युतीकरण हेतु पूर्व स्वीकृत प्राक्कलन क्रमांक 47–0004242–13–0084/26.11.2013 औपचारिकता पूर्ण न किए जाने से मुख्य अभियंता (ई.क्षे.) कार्य के पत्र क्र0 11188 दिनांक 25.10.2014 द्वारा प्राक्कलन निरस्त किया जा चुका है । उक्त निरस्त प्राक्कलन मे विकासकर्ता में मेसर्स आई.बी.डी. निरूपम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं ।

सुनवाई में श्री अहिरवार द्वारा टाईप किया हुआ उत्तर भी अपने हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया, जिसमें निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई है :–

(i) आवेदक द्वारा कालोनी के सम्पूर्ण बाह्य विद्युतीकरण की सुपरवीजन राशि सहित लागू समस्त प्रभारों का डिमाण्ड नोट जारी करने संबंधी वाद के संबंध में लेख है कि आवेदक को संभाग द्वारा दिनांक 15.04.2019 को एक डिमाण्ड नोट (मांग–पत्र) जारी किया जा चुका है, किन्तु सुनवाई की दिनांक तक आवेदक द्वारा इस डिमाण्ड नोट की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण कार्यालयीन आदेश जारी नहीं हुआ है ।

(ii) आवेदक की शिकायत की दिनांक 12.10.2018 से 60 दिवस व्यतीत होने पर भी कॉलोनी के संपूर्ण बाह्य विद्युतीकरण की सुपरवीजन राशि सहित लागू समस्त प्रभारों का डिमाण्ड नोट जारी नहीं किया गया है के संबंध में सादर जानकारी में लाया जाता है कि आवेदक द्वारा निम्न औपचारिकताएं पूर्ण न किए जाने के कारण विलंब हुआ –

(अ) 33 / 11 के.वी. उपकेन्द्र बनाए जाने हेतु भूमि खसरा क्र0 एवं मप्रमक्षेविविकलि. इन्दौर के पक्ष में भूमि हस्तांतरण के समस्त व्यय वहन किए जाने हेतु सहमति पत्र ।

(ब) नवीन आपसी सहमति लेख ।

(स) प्रस्तावित कॉलोनी 33 के.वी. पेंथर लाईन से संयोजित होना है अतः पेंथन लाईन शुल्क जमा करने हेतु कॉलोनाईजर / विकासकर्ता का सहमति पत्र ।

(द) कम्पनी के परिपत्र क्र0 प्रनि / पक्षे / 08–03 / 0725 दिनांक 14.06.2010 के अनुसार 33 / 11 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिए 40x50 Sqmtr = 2000 Sqmtr. भूमि आरक्षित करना है, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में स्वीकृत नगर एवं ग्राम निवेशक के अंतर्गत 1003.77 Sqmtr. भूमि ही आरक्षित की गई है । अतः परिपत्र अनुसार भूमि आरक्षित करना ।

(इ) प्रस्तावित विद्युत अधोसंरचना हेतु कॉलोनाईजर / विकासकर्ता का सहमति पत्र।

प्रकरण के विलंब का कारण आवेदक की ओर से नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करना है ।

06. अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दोनों उत्तर (एक टाईप किया हुआ और एक हस्तलिखित) तथा उनके पत्र क्रमांक 4639 दिनांक 17.01.2019 की छायाप्रति आवेदक को पत्र क्रमांक 495 दिनांक 10.07.2019 से प्रेषित करते हुए सुनवाई की अगली दिनांक 26.07.2019 नियत की जाने की सूचना दी गई । दिनांक 26.07.2019 को उभयपक्षों की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई की अगली दिनांक 20.08.2019 दी गई, जिसे आवेदक को पत्र क्रमांक 519 दिनांक 02.08.2019 से दी गई । पत्र में स्पष्ट रूप से आवेदक को सूचित किया गया था कि वे अगली सुनवाई को स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थिति होकर प्रकरण से संबंधित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करें अन्यथा प्रकरण खारिज कर नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा । दिनांक 20.08.2019 की सुनवाई में आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः पुनः प्रकरण में सुनवाई आगे बढ़ाते हुए अगली तारीख दिनांक 17.09.2019 नियत की गई,

जिसकी सूचना आवेदक को पत्र क्रमांक 538 दिनांक 29.08.2019 के माध्यम से दी गई । इस सूचना पत्र में भी आवेदक को अवगत कराया गया कि – पूर्व में दिनांक 21.06.19, 08.07.19 26.07.19, एवं 20.08.19 को आयोजित सुनवाई में स्पीड पोस्ट से नोटिस भिजवाए जाने पर भी आप या आपके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुपस्थिति के कारण प्रश्नाधीन प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी । अतः अगली सुनवाई दिनांक **17.09.19** को आप या आपके प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से आवश्यक जानकारी/दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा प्रकरण खारिज कर दिया जावेगा ।

07. दिनांक 17.09.2019 को भी आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु कई अवसर दिए गए किन्तु आवेदक एक बार भी स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने में असफल रहा जिससे आवेदक के अपीलीय अभ्यावेदन पर उसका पक्ष नहीं सुना जा सका ।

08. प्रकरण में माननीय विद्युत नियामक आयोग के विनियम 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2009' की निम्न कण्डिकाओं 4.19 एवं 4.28 का अवलोकन किया गया :–

"4.19. *दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात ही, विद्युत लोकपाल अभ्यावेदन पर अपना निर्णय देगा ।"*

"4.28. *विद्युत लोकपाल पक्षों को सुनवाई के लिये अवसर प्रदान करने के बाद उनके अभिवचनों के आधार पर प्रकरण पर निर्णय देगा । विद्युत लोकपाल, विस्तृत कारणों के साथ, जैसा कि वह प्रकरण के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर उचित समझे, अपना निर्णय संसूचित करेगा ।"*

उक्त कण्डिकाओं से स्पष्ट है कि प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद अनिवार्यतः उनके अभिवचनों के आधार पर ही विद्युत लोकपाल द्वारा कोई निर्णय लिया जा सकता है । चूंकि आवेदक द्वारा स्वयं अपील प्रस्तुत की गई है, अतः अपेक्षा थी कि आवेदक प्रकरण में तत्परता से अपना स्पष्ट व प्रमाणिक पक्ष प्रस्तुत करेंगे, किन्तु आवेदक स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक बार भी उपस्थित नहीं हुए । अतः आवेदक की लगातार

अनुपस्थिति से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो पाने के कारण प्रकरण खारिज कर समाप्त किया जाता है ।

09. उभय पक्ष प्रकरण में हुए अपने–अपने व्यय को स्वयं वहन करेंगे । आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ पक्षकारों को अलग से सूचित किया जाए ।

विद्युत लोकपाल